न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 36 / 2015

1 सन्तोष देवी पुत्री श्री भगवानदास पत्नी श्री रामगोपाल उम्र 48 वर्ष जाति स्वामी निवासी ग्राम स्वामी की ढ़ाणी तन ढ़िगाल तहसील नवलगढ़ हाल आबाद शिश्यू रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 पुखराज पुत्र गजानन्द उम्र 30 वर्ष जाति स्वामी निवासी नरेना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

2 चन्दा देवी पुत्री भगवानदास पत्नी किशोरदास जाति स्वामी निवासी स्वामी की ढ़ाणी तन ढ़िगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल आबाद मोहनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

3 सावित्री देवी पुत्री भगवानदास पत्नी गजानन्द जाति स्वामी निवासी स्वामी की ढाणी तन ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल आबाद नरेना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

4 विमला देवी पुत्री भगवानदास पत्नी अरिओम जाति स्वामी निवासी स्वामी की ढाणी तन ढिगाल हाल आबाद श्रिश्यू रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

5 पार्वती देवी पुत्री भगवानदास पत्नी पवनदास जाति स्वामी निवासी बैंसलाना पोस्ट बैंसलाना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

6 विधा देवी पत्नी भगवानदास जाति स्वामी निवासी स्वामी की ढाणी तन ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

7 भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

8 उप पंजीयक नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील वि0नि0 उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
दिनांक 30.03.2015 प्रार्थना पत्र अस्थाई
उनवानी संतोष देवी बनाम पुखराज आदि
मुकदमा नम्बर 32/2014

उपस्थिति :

1. श्री प्रदीप कुमार, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमित शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 24.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 32/2014 में पारित निर्णय दिनांक 30.03.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 280,287,330 वाके ग्राम स्वामी की ढाणी पटवार हल्का ढिगाल प्रस्तुत कर अनावेदक संख्या 1 से 6 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियां पुरूषोतम दास की थी पुरूषोतम दास के भगवान दास व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

केशरदास दो वारिस हुये केशरदास नाऔलाद फौत हो गया। भगवान दास के वारिसान में भूमियां अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 से गलत रूप से केशर दास की भूमियों का नामान्तकरण अपने नाम करवा लिया। इस हेतु दावा व टी.आई. विचारण न्यायालय में पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने टी.आई. गलत खारिज कर दी। रेस्पोडेंट संख्या 4 विमला देवी ने दावा किया था रेस्पोडेंट संख्या 1 ने विमला के नाम विक्रय पत्र कर दिया। इसलिए दावा वापिस ले लिया। इसी प्रकार चन्दा देवी को भी विक्रय पत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 ने करवा दिया उसने भी दावा विड्रा कर लिया। विधि अनुसार सभी का 1/6, 1/6 हिस्सा था दावे के विचारण के दौरान विवादित भूमियां खुर्द बुर्द न हो वह वाद बाहुलयता न बढ़े अत तादौराने वाद स्थगन आवश्यक है। पुखराज यहां का निवासी नही है खुर्द बुर्द करने में लगा हुआ है। सुविधा का सन्तुलन हमारे पक्ष में है अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 वारिस नही होकर केशर दास का चेला है अत 1/2 का अधिकारी है विचारण न्यायालय में चेला होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत है। हम रिकार्डेड खातेदार है अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो घटक हमारे पक्ष में है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नकल जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 में 1/2 हिस्से की भूमि का रिकार्ड भगवानदास के वारिसानो के नाम दर्ज है तथा 1/2 हिस्से की भूमि केशरदास के नाम दर्ज है जो आगे नामान्तकरण संख्या 72 के द्वारा विरासत में केशरदास के स्थान पर उसके चेले पुखराज स्वामी पुत्र वैध गजानन्द स्वामी के नाम से दर्ज है। इस प्रकार रिकार्ड से अनावेदक नम्बर 11/2 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा दादू सम्प्रदाय के रिति रिवाजो के अनुसार मृतक केशरदास की मृत्यु पर

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

तमाम जांच व प्रकिया पूर्ण करके उसकी खातेदारी की भूमि के स्थान पर विरासत में अनावेदक नम्बर 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खातेदार काश्तकार द्वारा जरिये विक्रय पत्रों से भूमि विक्रय की है इस प्रकार प्रथम दृष्टया अनावेदक नम्बर 01 मृतक केशरदास का वारिस है जिस बाबत ग्राम पंचायत ढ़िगाल ने भी सम्पूर्ण जांच करके नामान्तकरण तस्दीक किया है तथा दादू सम्प्रदाय के प्रमाण पत्रों पीठाधीश्वर नारायण सम्प्रदाय के द्वारा जारी प्रमाण पत्रो से भी यह प्रतीत होता है कि केशरदास का वारिस अनावेदक नम्बर 1 पुखराज है तथा काश्त व कब्जा भी रिकार्ड के अनुसार व दस्तावेजो के आधार पर अनावेदक नम्बर 1 का कब्जा होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में नही होकर रेस्पोडेंट के पक्ष में साबित है। अत विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज होती है।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर